बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः– 15/पी 5–05/2025 – 345 पटना, दिनांक– 06/02/ 2026

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिकवित्तीय सलाहकार।

विषयः– भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर बक्सर जिले के डुमराँव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–302 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कुल राशि रू0 14,52,15,000 (चौदह करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की योजना की स्वीकृति रद्द करते हुए राज्य स्कीम अन्तर्गत प्रस्तावित इस संगीत महाविद्यालय के विभिन्न भवनों (फर्नीचर सहित), आंतरिक पथ एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु कुल रू० 87,81,43,400/– (सत्तासी करोड़ इक्यासी लाख तैंतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

इस योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय का विकलन माँग संख्या–21, शिक्षा विभाग मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 21–2202031020115, विषय शीर्ष 0115.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस मद में रूपये 500 करोड़ का योजना उदव्यय एवं बजटीय उपबंध उपलब्ध है।
वर्तमान में, उच्च शिक्षा विभाग के गठन के फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष से उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रावधानित सुसंगत बजट शीर्ष से योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार राशि स्वीकृत/विमुक्त किया जायेगा।

2. भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय भवन को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के ध्येय से पूर्व में मॉडल प्राक्कलन के आधार पर विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–302 दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रदत रू0 14,52,15,000 (चौदह करोड़ बावन लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए कुल रूपये 87,81,43,400/–(सत्तासी करोड़ इक्यासी लाख तैंतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र के पुनरीक्षित राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

3. राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता–PBBPLA005 के Ledger ID-2469 में अंतरित किया जायेगा।

4. इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना द्वारा किया जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता की पूरी जिम्मेवारी निगम के संबंधित पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत संगत दिशा निर्देश के आलोक में की जायेगी।

6. स्वीकृत्यादेश अंतर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 2 (क) (iv) के आलोक में राशि स्वीकृत की जा रही है।

7. यह स्वीकृत्यादेश लोक वित्त समिति का दिनांक 18.12.2025 की बैठक में की गई अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2026 में मद संख्या– 04 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5–05/2025 में दिनांक– 05.02.2026 को पृष्ठ संख्या–45/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

9. व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे विधिवत् रूप से महालेखाकार कार्यालय को समर्पित किया जायेगा।

10. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इस के लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

12. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

13. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

14. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अजीत कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:–15/पी05–15/2022–345 पटना, दिनाक 06/02/2026

प्रतिलिपि:–विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/योजना कोषांग, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15/लेखापाल/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा/उपयोगिता कोषांग, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ajit 5/2/26

सरकार के उप सचिव

Bharatratna Bishmillah khan Sangit mahavidyalay/P.K